



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2016/ज्येष्ठ 25, 1938

No. 256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2016/JYAISTHA 25, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 13 जून, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/16/128/2016.— "बीमा अधिनियम, 1938" (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जी बी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 की उपधारा (1) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 14 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इलैक्ट्रॉनिक पॉलिसी के निर्गम और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक प्रस्ताव फार्म की प्रस्तुति के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
- ये विनियम 1 अक्टूबर 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (i) **"अधिनियम"** से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ii) **"प्राधिकरण"** से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iii) **"ई-बीमा खाता" अथवा "ईआईए"** किसी बीमा रिपोज़िटरी के पास किसी व्यक्ति के द्वारा खोला गया इलैक्ट्रॉनिक खाता है जिसमें पॉलिसीधारक की बीमा पॉलिसियों के संविभाग इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित किये जाते हैं।
- (iv) **"ई-हस्ताक्षर अथवा इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर"** का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम, 2000 में विनिर्दिष्ट है।
- (v) **"डिजिटल हस्ताक्षर"** का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित आईटी अधिनियम, 2000 में विनिर्दिष्ट है।
- (vi) **"ई-प्रस्ताव" अथवा "इलैक्ट्रॉनिक प्रस्ताव"** से संभावित ग्राहक द्वारा बीमा पॉलिसी के लिए अपने इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किया गया प्रस्ताव फार्म अभिप्रेत है।
- (vii) **"ई-बीमा पॉलिसी" अथवा "इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी"** से वह पॉलिसी दस्तावेज अभिप्रेत होगा जो बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई बीमा संविदा का साक्ष्य है तथा कानून द्वारा निर्धारित लागू उपबंधों के अनुसार डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित है और इलैक्ट्रॉनिक रूप में बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को सीधे अथवा पंजीकृत बीमा रिपोज़िटरी के प्लेटफार्म के माध्यम से जारी किया गया है।
- (viii) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

ई-प्रस्ताव फार्म तथा ई-बीमा पॉलिसी का निर्गम

3. ई-प्रस्ताव फार्म

- (i) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक प्रस्ताव फार्म के समान ही एक ई-प्रस्ताव फार्म निर्मित करेगा। इस प्रकार के फार्म को ऐसा होना चाहिए कि इससे इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना ग्रहण किया जा सके जिससे सरलतापूर्वक संसाधन (प्रॉसेसिंग) और सर्विसिंग संभव हो सके।

- (ii) ई-प्रस्ताव फार्म में इलैक्ट्रॉनिक बीमा खाता (ईआईए) संख्या को ग्रहण करने के लिए भी व्यवस्था होगी जिसे संभावित ग्राहक द्वारा जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ भरा जाएगा।
- (iii) इस प्रकार का प्रत्येक बीमाकर्ता ऊपर (i) और (ii) पर उल्लिखित रूप में ई-प्रस्ताव फार्म का भौतिक पाठ भी उपलब्ध करायेगा। जहाँ सूचना भौतिक रूप में प्राप्त की गई हो, वहाँ बीमाकर्ता संभावित ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को इलैक्ट्रॉनिक पाठ के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (iv) यदि संभावित ग्राहक के पास ईआईए संख्या नहीं है, तो जहाँ भी इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी को बीमा रिपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से जारी करना प्रस्तावित हो वहाँ बीमाकर्ता ईआईए संख्या के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।
- (v) जब संभावित ग्राहक ई-प्रस्ताव फार्म में विवरण प्रस्तुत करता है, तब उसमें उसके इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होंगे।

4. इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों का निर्गम:

- (i) प्रत्येक बीमाकर्ता वे इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियाँ जारी करेगा जो बीमित राशि अथवा प्रीमियम के अनुसार अनुसूची I में दिये गये मानदंडों को पूरा करती हैं।
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियाँ बीमाकर्ताओं द्वारा पॉलिसीधारकों को सीधे अथवा पंजीकृत बीमा रिपोजिटरियों के माध्यम से जारी की जा सकती हैं।
- (iii) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को सीधे इलैक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई सभी पॉलिसियाँ भौतिक रूप में भी जारी की जाएँगी। ऐसे सभी मामलों में प्रस्ताव फार्म आदि की प्रतियाँ भी भौतिक रूप में भेजी जाएँगी:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना पॉलिसीधारकों के हित में है और बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए आवश्यक है, भौतिक रूप में ऐसे निर्गम से छूट प्रदान कर सकता है:

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि ऐसी छूटों के संबंध में शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं जिन्हें बीमाकर्ता द्वारा पूरा किया जाएगा:

- (iv) जब इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियाँ पंजीकृत बीमा रिपोजिटरियों के प्लेटफार्म के माध्यम से जारी की जाती हैं, तब इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों का भौतिक पाठ जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार, इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों के साथ बीमाकृत व्यक्ति को प्रस्ताव फार्म आदि की प्रतियाँ भी इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं।
- (v) ऊपर (iii) पर निर्धारित रूप में प्राधिकरण से जिन इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों को छूट प्राप्त नहीं है, यदि वे केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाती हैं तो केवल पंजीकृत बीमा रिपोजिटरियों के माध्यम से ही जारी की जाएँगी।

- (vi) इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों को अनुपालनकर्ता केवल तभी माना जाएगा जब वे कानून द्वारा निर्धारित लागू उपबंधों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी की जाती हैं।
- (vii) ऊपर (iii) में उल्लिखित इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी का भौतिक रूप इलैक्ट्रॉनिक रूप की प्रतिकृति होगा।
- (viii) इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों के निर्गम के लिए परिचालनगत ढाँचा बीमा रिपोजिटोरियों और इस उद्देश्य से जारी की जानेवाली बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम के संबंध में दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।
- (ix) अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के दायरे से बाहर स्थित इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों के निर्गम के लिए, ऊपर (viii) में उल्लिखित दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

5. विविध

- i. **इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों पर छूट** – बीमाकर्ता ऐसी इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियों के लिए जिन्हें भौतिक रूप में जारी करने से छूट प्राप्त है, पॉलिसीधारकों को प्रीमियम दरों में छूट (डिस्काउंट) का प्रस्ताव कर सकता है। ऐसी छूट उत्पाद अनुमोदन के अंतर्गत दाखिल की गई छूट की दरों अथवा फाइल एण्ड यूज दिशानिर्देशों अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।
- ii. **वर्तमान पॉलिसियाँ** – पॉलिसीधारक जो इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी की सुविधा का उपयोग करने चाहते हैं, बीमाकर्ता के पास अपने विकल्प को पंजीकृत करवा सकते हैं।
- iii. **आपदा प्रवण और अन्य असुरक्षित क्षेत्रों में ई-बीमा पॉलिसियों का अधिदेशात्मक निर्गम** – प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आपदा प्रवण और असुरक्षित क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसियाँ अधिदेशात्मक तौर पर जारी करेगा।

6. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों / दिशानिर्देशों के रूप में स्पष्टीकरण, निर्देश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची-I

व्यवसाय की पद्धति	बीमित राशि* (समान अथवा अधिक) (रुपये)	एकल / वार्षिक प्रीमियम* (समान अथवा अधिक)
विशुद्ध अवधि (आरओपी सहित अवधि को छोड़कर)**	10,00,000/-	10,000/-
विशुद्ध अवधि को छोड़कर अन्य (आरओपी सहित अवधि को मिलाकर)**	1,00,000/-	10,000/-
पेंशन पॉलिसियाँ	लागू नहीं	10,000/-
तत्काल वार्षिकियाँ (पेंशन प्रति वर्ष)	लागू नहीं	10,000/-
मोटर को छोड़कर सभी खुदरा साधारण बीमा पॉलिसियाँ	10,00,000/-	5,000/-
वैयक्तिक स्वास्थ्य	5,00,000/-	10,000/-

मोटर खुदरा		सभी पॉलिसियाँ	सभी पॉलिसियाँ
विविध	व्यक्तिगत वैयक्तिक दुर्घटना और घरेलू यात्रा	10,00,000/-	5,000/-
	व्यक्तिगत यात्रा बीमा (विदेशी)	सभी पॉलिसियाँ	

*इलैक्ट्रॉनिक पॉलिसी जारी की जाएगी, यदि बीमित राशि अथवा एकल /वार्षिक प्रीमियम मानदंड पूरा किया जाए।

**सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ छूट प्राप्त हैं।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष
[विज्ञापनIII/4/असा./161/16]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th June, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India

(Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016

F.No. IRDAI/Reg/16/128/2016 - In exercise of the powers conferred by section 14 (2) read with clause (gb) of sub section 2 of section 114A of "The Insurance Act, 1938" and subsection (1) of Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations for Issuance of electronic policy and submission of electronic proposal form of insurance policies:

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and commencement

- These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016.
- They shall come into force from 1st October, 2016.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time;
- "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- "e-Insurance Account" or "eIA" is an electronic account opened by a person with an insurance repository wherein the portfolios of insurance policies of a policyholder are held in an electronic form.
- "e-signature or electronic signature" shall have the same meaning as specified in the IT (Information Technology) Act, 2000 as amended from time to time.
- "Digital Signature" shall have the same meaning as specified in the IT Act, 2000 as amended from time to time.
- "e-proposal" or "electronic proposal" means a proposal form for an insurance policy filed in electronic form by the prospect with his electronic signature.
- "e-insurance policy" or "electronic insurance policy" shall mean a policy document which is an evidence of insurance contract issued by an insurer and digitally signed in accordance with the applicable provisions

prescribed by law and issued in an electronic form either directly to the policyholder by the insurer or through the platform of registered Insurance repository-

- (viii) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938(4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

CHAPTER II

e- Proposal Form & Issuance of e-Insurance Policy

3. e-proposal form

- (i) Every insurer soliciting insurance business through electronic mode shall create an e-proposal form similar to the physical proposal form approved by the Authority. Such form should enable capture of information in electronic form that would enable easy processing and servicing.
- (ii) The e-Proposal form shall also have a provision to capture the electronic Insurance Account (eIA) number which shall be filled by prospect wherever available.
- (iii) Every such insurer shall also make available physical version of e-proposal form as mentioned at (i) & (ii) above. Where the information is captured in physical form, then the insurer shall make necessary arrangements to convert the information furnished by prospects into electronic version.
- (iv) In case the prospect does not have an eIA number, the insurer shall facilitate the creation of eIA number wherever the electronic insurance policy is proposed to be issued through the Insurance Repository System.
- (v) When the prospect furnishes the details in e-proposal form, it shall carry his electronic signature.

4. Issuance of electronic Insurance Policies:

- (i) Every insurer shall issue electronic insurance policies that fulfill the criteria given in Schedule I in terms of Sum Assured or Premium.
- (ii) Electronic insurance policies may be issued by the Insurers either directly to the policyholders or through the registered Insurance Repositories.
- (iii) All policies issued in electronic form by the Insurer directly to the policyholder shall also be issued in physical form. In all such cases, copies of the proposal form, etc shall also be sent in physical form :
 Provided that the Authority, on being satisfied that it is in the interests of policyholders and for orderly growth of Insurance Industry, exempts such issuance in physical form:
 Provided further that such exemptions may stipulate conditions specified to be fulfilled by the Insurer.
- (iv) Physical version of the electronic insurance policies need not be issued when electronic insurance policies are issued through the platform of registered Insurance Repositories. Similarly, copies of the proposal form etc may also be sent in electronic form to the insured along-with electronic insurance policies.
- (v) The electronic insurance policies not exempt by the Authority as stipulated at (iii) above shall, if issued only in electronic form, be only through the registered Insurance repositories.
- (vi) Electronic Insurance Policies shall be deemed compliant only when issued with digital signature in accordance with applicable provisions prescribed by law.
- (vii) The physical form of the electronic Insurance Policy referred in (iii) above shall be a replica of the electronic form.
- (viii) For the issue of electronic insurance policies, the operational framework would be as specified by the Authority under the guidelines on Insurance repositories and electronic issuance of insurance policies issued in this behalf.
- (ix) For the issue of electronic insurance policies that are outside the ambit of the stipulations prescribed in Schedule-I, the guidelines referred in (viii) above shall also apply.

5. Miscellaneous

- i. **Discount on electronic insurance policies** – An insurer may offer discount in the premium rates to the policyholders for such electronic insurance policies exempt from issuance in physical form. Such discount shall be in accordance with the discount rates filed under the Product Approval or the File & Use guidelines or as specified by the Authority.
- ii. **Existing policies** – The policyholders who wish to avail the facility of electronic insurance policy may register their choice with the insurer.
- iii. **Mandatory issuance of e-insurance policies in disaster prone and other vulnerable areas** – Every insurer shall mandatorily issue electronic insurance policies in disaster prone and vulnerable areas as specified by the Authority.

6. Power of the Authority to issue clarifications etc:

In order to remove any difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars/guidelines.

SCHEDULE I

Line of Business		Sum Insured* (equal to or exceeding) (in Rs.)	Single/Annual Premium* (equal to or exceeding)
Pure term (excluding term with ROP)**		10,00,000/-	10,000/-
Other than Pure term (including term with ROP)**		1,00,000/-	10,000/-
Pension policies		NA	10,000/-
Immediate Annuities (Pension p.a.)		NA	10,000/-
All retail General Insurance policies except Motor		10,00,000/-	5,000/-
Individual Health		5,00,000/-	10,000/-
Motor Retail		All policies	All policies
Miscellaneous	Individual Personal Accident & Domestic Travel	10,00,000/-	5,000/-
	Individual Travel Insurance (Overseas)	All Policies	

* Electronic policy shall be issued if either the Sum Insured or Single/Annual Premium criteria is met.

** Micro-insurance policies are exempted :

T .S. VIJAYAN, Chairman
[ADV.T. III /4/Exty./161/16]